सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

सभी प्रारंभिक पाठशालाओं की होगी ग्रेडिंग : मॉनीटरिंग टूल्ज तैयार

स्कूल ग्रेडिंग हेतु मॉनीटरिंग टूल

स्कूल .....

संकुल .....

खण्ड ..... जिला .....

■ विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं तथा निर्माण कार्यो की स्थिति

1. विद्यालय में पढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कुल कमरों की संख्या : अंक
   (क) तीन या तीन से अधिक : 2
   (ख) दो : 1
   (ग) दो से कम : 0
2. जल सुविधा
   (क) नल व पीने योग्य जल तथा नियमित आपूर्ति : 2
   (ख) नल उपलब्ध है परन्तु पानी की अनियमित आपूर्ति : 1
   (ग) सुविधा उपलब्ध नहीं है : 0
3. शौचालय सुविधा
   (क) उपलब्ध है तथा उपयोग में लाया जा रहा है : 2
   (ख) उपलब्ध है परन्तु उपयोग में नहीं लाया जा रहा है : 1
   (ग) सुविधा उपलब्ध नहीं है : 0
4. बच्चों के लिए फर्नीचर एवं टाट–पट्टी की व्यवस्था
   (क) फर्नीचर : 2
   (ख) केवल टाट पट्टी : 1
   (ग) कोई व्यवस्था नही : 0
5. विद्यालय में पुस्तकालय
   (क) पुस्तकालय का अध्यापकों एवं बच्चों द्वारा उपयोग : 2
   (ख) अध्यापकों या बच्चों द्वारा उपयोग : (ग)
   पुस्तकालय है परन्तु उसका उपयोग नहीं हो रहा है : 0
6. भवन एवं निर्माण कार्य (भवन, शौचालय, पीने का पानी, चारदिवारी, रसोईशाला) की पिछले तीन माह से स्थिति (वर्ष के अंदर उपलब्ध बजट के दृष्टिगत)
   (क) कार्य 50 प्रतिशत से अधिक पूर्ण : 2
   (ख) कार्य (20 से 50 प्रतिशत) तक पूर्ण : 1
   (ग) 20 प्रतिशत से कम पूर्ण : 0

■ शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु विभिन्न गतिविधियों का कार्यान्वयन

7. विद्यालय विकास योजना
   (क) तैयार एवं नियमित कार्यान्वयन हो रहा है : 2
   (ख) तैयार परन्तु कार्यान्वयन नहीं हो रहा है : 1
   (ग) नियमित रूप से तैयार नहीं की जा रही है : 0
8. विद्यालय में बाल सभाओं का आयोजन
   (क) साप्ताहिक : 2
   (ख) त्रैमासिक या अर्द्धवार्षिक : 1
   (ग) वार्षिक या कभी नहीं : 0
9. ग्रामीण शिक्षा पंजिका (VER)
   (क) ग्रामीण शिक्षा पंजिका (VER) का (VEC) स्तर पर अपडेशन तथा उपयोग: 2
   (ख) ग्रामीण शिक्षा पंजिका (VER) का केवल विद्यालय स्तर पर अपडेशन : 1
   (ग) ग्रामीण शिक्षा पंजिका (VER) है परन्तु अपडेशन नहीं है : 0
10. शिक्षण–अधिगम सामग्री (TLM)
    (क) शिक्षण सामग्री है तथा उसका कक्षा में उपयोग किया जा रहा है : 2
    (ख) शिक्षण सामग्री उपलब्ध है परन्तु उसका कक्षा में उपयोग नहीं हो रहा है: 1
    (ग) शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं है : 0
11. विद्यालय सूचना कार्ड
    (क) विद्यालय सूचना कार्ड है, इसे विद्यालय विकास योजना से जोड़ा गया है तथा पूर्ण जानकारी सूचना पट्ट पर दर्शाई गई है : 2
    (ख) विद्यालय सूचना कार्ड को विद्यालय विकास योजना से जोड़ा गया है परन्तु जानकारी सूचना पट्ट पर नहीं दर्शाई गई है : 1
    (ग) विद्यालय सूचना कार्ड उपलब्ध नहीं है तथा न ही जानकारी सूचना पट्ट पर दी गई है : 0
12. विद्यालय के अंदर नियमित गतिविधियों जैसे प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, पत्र लेखन, नाटक, पहेलियां, भाषण खेलकूद इत्यादि का आयोजन (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार)
    (क) प्रतिदिन प्रार्थना सभा में : 2
    (ख) साप्ताहिक : 1
    (ग) वार्षिक : 0
13. सतत समग्र मूल्यांकन
    (क) सतत समग्र मूल्यांकन कर रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को दिखाया जा रहा है व उनसे चर्चा की जाती है: 2
    (ख) सतत समग्र मूल्यांकन हो रहा है परन्तु रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को नहीं दिखाया जा रहा है : 1
    (ग) सतत समग्र मूल्यांकन नहीं हो रहा है : 0
14. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुपात में अध्यापकों को प्रशिक्षण
    (क) सभी अध्यापकों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है : 2
    (ख) 50 प्रतिशत अध्यापकों ने प्राप्त किया है : 1
    (ग) 50 प्रतिशत से कम अध्यापकों ने प्राप्त किया है : 0
15. क्या स्कूल में ADEPTS कार्यक्रम लागू हो गया है, और मानक निर्धारित कर दिए गए हैं
    (क) अपने लिए, संस्थान के लिए तथा निर्धारित मानकों में उपलब्धि स्तर > 60 % 2
    (ख) किसी एक के लिए तथा निर्धारित मानकों में उपलब्धि स्तर 40–60 % 1
    (ग) किसी के लिए भी नहीं तथा निर्धारित मानकों में उपलब्धि स्तर < 40 % 0

■ मुख्य मानक

16. अध्यापकों में समय पालन एवं उपस्थिति (मॉनीटरिंग के दौरान)
    (क) समय पालन तथा 80 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति : 2
    (ख) समय पालन तथा (50–80) प्रतिशत उपस्थिति : 1
    (ग) समय पालन नहीं तथा 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति : 0
17. विद्यार्थियों की उपस्थिति
    (क) 90 प्रतिशत से अधिक : 2
    (ख) 70–90 प्रतिशत : 1
    (ग) 70 प्रतिशत से कम : 0
18ए. कक्षा–5 में पास प्रतिशत (त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक)
    (क) 90 प्रतिशत से अधिक या ग्रेड A तथा B प्राप्त करने वाले 40 प्रतिशत से अधिक बच्चे : 10
    (ख) 70 से 90 प्रतिशत या ग्रेड C तथा D प्राप्त करने वाले 20–40 प्रतिशत बच्चे : 05
    (ग) 70 प्रतिशत से कम या ग्रेड E प्राप्त करने वाले 20 प्रतिशत से कम बच्चे : 0
18बी. कक्षा–8 में पास प्रतिशत (त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक)
    (क) 80 प्रतिशत से अधिक या ग्रेड A तथा B प्राप्त करने वाले 40 प्रतिशत से अधिक बच्चे : 10
    (ख) 60 से 80 प्रतिशत के मध्य में या ग्रेड C तथा D प्राप्त करने वाले 20–40 प्रतिशत बच्चे : 05
    (ग) 60 प्रतिशत से कम या ग्रेड E प्राप्त करने वाले 20 प्रतिशत से कम बच्चे : 0
19. ग्राम शिक्षा पंजिका के अनुसार 6 –14 वर्ष की आयु के स्कूल छोड़ने वाले बच्चे
    (क) 1 प्रतिशत से कम: 2
    (ख) 1–2 प्रतिशत : 1
    (ग) 2 प्रतिशत से अधिक : 0
20ए. कक्षा–5 में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की प्रतिशतता
    (क) 70 से 100 प्रतिशत तक : 10
    (ख) 50 से 69 प्रतिशत तक : 05
    (ग) 50 प्रतिशत से कम : 0
20बी. कक्षा–8 में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की प्रतिशतता
    (क) 60 प्रतिशत से अधिक : 10
    (ख) 50 से 60 प्रतिशत तक : 05
    (ग) 50 प्रतिशत से कम : 0

■ समुदाय की सहभागिता

21. ग्रामीण शिक्षा समिति के सदस्यों की त्रैमासिक बैठकों में उपस्थिति
    (क) 60 प्रतिशत से अधिक : 2
    (ख) 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक : 1
    (ग) 50 प्रतिशत से कम : 0
22. विद्यालय विकास के कार्यों में समुदाय का सहयोग
    (क) शैक्षणिक, आर्थिक तथा अन्य क्षेत्र में योगदान 2
    (ख) उपरोक्त में से किसी एक क्षेत्र में योगदान 1
    (ग) कोई योगदान नहीं 0
23. अध्यापक अभिभावक/मातृ–अध्यापक संघ की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति
    (क) 60 प्रतिशत से अधिक : 2
    (ख) 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक : 1
    (ग) 50 प्रतिशत से कम : 0
24. VER के अनुसार स्कूल से बाहर बच्चों का नामांकन करने में अध्यापकों, VEC तथा समुदाय का सहयोग :
    (क) स्कूल से बाहर कोई बच्चा नहीं : 2
    (ख) स्कूल से बाहर 1–5 बच्चे : 1
    (ग) स्कूल से बाहर 5 से अधिक बच्चे : 0

■ अन्य मानक

25. सर्व शिक्षा अभियान के तहत पिछले वर्ष तक खर्च की गई राशि (निर्माण कार्यों के अतिरिक्त)
    (क) पूर्ण राशि खर्च की गई : 2
    (ख) 5000/– रु0 तक की शेष राशि : 1
    (ग) 5000/– रु0 से अधिक शेष राशि : 0
26. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं
    (क) स्कूल में प्रशिक्षित अध्यापक, बाधा रहित वातावरण तथा विशेष उपकरण उपलब्ध 2
    (ख) उपरोक्त कोई एक सुविधा उपलब्ध है: 1
    (ग) कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है : 0
27. दोपहर का भोजन
    (क) सप्ताह में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार का भोजन बनाया जाता है तथा समय–समय पर VEC/MTA के सदस्यों द्वारा भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने तथा जांचने में सहयोग दिया जाता है। 2
    (ख) सप्ताह में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार का भोजन बनाया जाता है परन्तु VEC/MTA के सदस्यों द्वारा भोजन को नहीं जांचा जाता है। 1
    (ग) सप्ताह में प्रतिदिन एक ही प्रकार का भोजन बनाया जाता है। 0
28. विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच
    (क) त्रैमासिक या अर्द्धवार्षिक 2
    (ख) वार्षिक 1
    (ग) कभी नहीं 0
29. विद्यालय में पेयजल की जांच
    (क) मासिक या त्रैमासिक 2
    (ख) अर्द्धवार्षिक या वार्षिक 1
    (ग) कभी नहीं 0
30. स्कूल स्तर उपलब्धि मैरिट के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या
    (क) पांच से अधिक 2
    (ख) एक से पांच 1
    (ग) कभी नहीं 0

विद्यालय ग्रेड	प्रथम मूल्यांकन	द्वितीय मूल्यांकन	तृतीय मूल्यांकन
मूल्यांकन की तिथि			
प्राप्त अंकों का योग			
विद्यालय स्थिति पर प्राप्त ग्रेड			
हस्ताक्षर मूल्यांकनकर्ता			

विभिन्न गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हर स्तर पर होगी मॉनीटरिंग

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की सफलता का आकलन करने और विभिन्न स्तरों पर आ रही कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से राज्य में मॉनीटरिंग, निरीक्षण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने हेतु महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके लिए जहां विभिन्न स्तरों पर चलाई जा रही गतिविधियों की मॉनीटरिंग की जा रही हैं, वहीं स्कूलों में अंततः शिक्षा की गुणवत्ता में कितना सुधार आया है, यह भी आंका जा रहा है। मॉनीटरिंग से ही ज्ञात हो पाएगा कि अभियान के अंतर्गत अब तक खर्च की गई धनराशि का कितना उचित उपयोग हो पाया है और निर्धारित लक्ष्य किस हद तक पूरे किए जा चुके हैं।

मॉनीटरिंग के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई है। वर्ष 2009–10 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में इसका प्रावधान रखा गया है और आगामी योजनाओं में भी जारी रखा जाएगा। राज्य स्तर पर एक मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। प्रत्येक राज्य समन्वयक, उसके साथ एक डाइट से जिला समन्वयक तथा एक खण्ड समन्वयक हर माह दो खण्डों के कम से कम दस स्कूलों की मॉनीटरिंग व निरीक्षण करेंगे। इस प्रकार 11वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक प्रदेश की प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक पाठशाला की मॉनीटरिंग का लक्ष्य रखा गया है।

मॉनीटरिंग के दौरान टीम द्वारा तीन प्रारूपों पर सूचना एकत्र करनी होगी।

■ प्रथम प्रारूप विद्यालय में कक्षागत अवलोकन (classroom observation) पर आधारित है।

■ द्वितीय प्रारूप वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक के विभिन्न मुख्य सूचकों (Key indicators) जैसे :– स्कूल न जाने वाले बच्चों की प्रतिशतता, कक्षा V से VI की स्तरोन्नति दर, कक्षा VIII से IX की स्तरोन्नति दर, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल त्याग दर, कक्षा V एवं कक्षा VIII में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की प्रतिशतता पर आधारित है।

■ त तीय प्रारूप : स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान की विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति पर आधारित है। स्कूल में गतिविधियां अत्यन्त प्रभावी ढंग से चल रही हैं अथवा कम प्रभावी व सामान्य रूप से चल रही हैं यह स्पष्ट हो पाएगा। इन गतिविधियों में शामिल हैं :

1. स्कूल विकास योजना,
2. ग्राम शिक्षा पंजिका,
3. स्कूल समय–सारिणी
4. अध्यापक डायरी
5. सी.एल.एफ./बी.एल.एफ.
6. आधार
7. सामुदायिक संघों की बैठकें,
8. मध्याह्न भोजन
9. स्कूल स्वच्छता
10. पुस्तकालय
11. विज्ञान/गणित प्रयोगशाला
12. शिक्षा/विज्ञान किट्स
13. उपयोग में लाई गई निधि
14. बच्चों का अधिगम स्तर
15. कक्षा कक्ष स्थिति
16. स्कूल रिपोर्ट कार्ड
17. सतत् समग्र मूल्यांकन
18. अध्यापन–अधिगम सामग्री का प्रयोग
19. सी.डब्ल्यू.एस.एन.–आई.ई.पी., सहायक उपकरण

इसी प्रकार के मॉनीटरिंग टूल्ज़ खण्ड व संकुल स्तर हेतु भी तैयार किए गए हैं। एकत्र सूचनाओं के आधार पर मॉनीटरिंग टीम अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और इसे राज्य, जिला स्तरीय बैठकों में चर्चा हेतु रखा जाएगा। रिपोर्ट में निर्दिष्ट कमियों को दूर करने हेतु उपयुक्त स्तर पर कार्यवाही होगी। सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत विभिन्न स्तरों पर चलने वाले कार्यक्रमों का प्रभाव अंततः स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर नजर आएगा। अतः प्रत्येक पाठशाला की ग्रेडिंग की योजना बनाई गई है। मात्रात्मक तथा गुणात्मक सूचकों के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। 30 सूत्रीय मॉनीटरिंग टूल्ज के ज़रिए त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक स्कूल की ग्रेडिंग संबंधित संकुल सोत केन्द्र समन्वयक (CRCC) द्वारा की जाएगी। इस टूल को स्कूलों में गुणवत्ता मॉनीटरिंग टूल्ज CLF-I तथा CLF-II के साथ जोड़ा गया है ताकि क्षेत्र कर्मियों पर अवांछित अतिरिक्त बोझ न पड़े। इन स्कूलों को A, B तथा C में बांटा जाएगा और प्रत्येक क्वार्टर में स्कूल/संकुल के प्रदर्शन में सुधार को सुनिश्चित बनाना होगा। स्कूल की कमियों को दूर करने हेतु प्रभावी सोत अनुसमर्थन प्रदान करना संबंधित समन्वयक का ही दायित्व होगा। बेहतर सुधार का श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले BRCCs/CRCCs/ स्कूलों को जहां राज्य स्तरीय आयोजनों में उपयुक्त सम्मान दिया जाएगा वहीं शिक्षा में जमीनी स्तर पर गुणात्मक सुधार लाए जाने की सुनिश्चितता भी बनेगी।

विद्यालय की ग्रेडिंग के लिए दिशा-निर्देश

(1) प्रत्येक संकुल स्त्रोत समन्वयक को हर पाठशाला की अपने संकुल स्तर पर चतुर्मासिक आधार पर ग्रेडिंग सुनिश्चित करनी होगी जिसे प्रतिवर्ष तीन बार किया जाएगा।

(2) विद्यालय की ग्रेडिंग इसी वर्ष 2008–2009 से लागू की जाएगी व पहली बार शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में इस सम्बन्ध में फरवरी माह में सूचना एकत्र की जाएगी जो दिसम्बर, 2008 तक समाप्त तिमाही से सम्बन्धित होगी। विद्यालय ग्रेडिंग की सूचना को एक स्तर से दूसरे तक पहुंचाना :

क्र सं0	स्तर	जिसे सूचना सौपनी है	सूचना पहुंचाने की अवधि
1.	संकुल स्तर (CRCC)	खण्ड स्त्रोत समन्वयक (BRCC)	जून/सितंबर, सितंबर/दिसंबर तथा दिसंबर/मार्च के दूसरे सप्ताह
2.	खण्ड स्तर (BRCC)	जिला परियोजना अधिकारी (DPO)	जून/सितंबर, सितंबर/दिसंबर तथा दिसंबर/मार्च के तीसरे सप्ताह
3.	जिला परियोजना कार्यालय (DPO)	राज्य परियोजना निदेशक (SPD)	जून/सितंबर, सितंबर/दिसंबर तथा दिसंबर/मार्च के चौथे सप्ताह

(3). प्रत्येक विद्यालय ग्रेडिंग के लिए निम्न मानदण्ड (Criteria) निर्धारित किया गया है:

अंक	विद्यालयों की संख्या	ग्रेड	उपलब्धि स्तर
80-100 प्रतिशत		A	उच्च (High)
40-80 प्रतिशत		B	औसत (Average)
40 प्रतिशत से कम		C	निम्न (Low)

शिक्षा मंत्री श्री ईश्वर दास धीमान ने कहा है कि गुणात्मक शिक्षा की दिशा में प्रदेश में किए जा रहे विभिन्न कार्यों में पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। उन्होंने यह बात 24 जनवरी को शिमला में प्रदेश सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान के कार्यों की समीक्षा करते हुए कही।

इस अवसर पर श्री धीमान ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश ने बेहतर उपलब्धि प्राप्त की है लेकिन इसमें गुणात्मक सुधार की गुंजाइश अब भी बाकी है और इस दिशा में हमें अपने लक्ष्य निर्धारित कर एक निश्चित समयावधि के भीतर उन्हें पूरा करना होगा। बच्चों का स्कूल में नामांकन हो अथवा अध्यापकों की उपलब्धता या अन्य शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक गतिविधियां हों उनके लिए एक समय सीमा निर्धारित कर ही कार्य को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाना चाहिए तभी सही मायनों में लक्षित समूह तक हम शिक्षा पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे।

शिक्षा मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों एवं प्रतिभागियों से ईमानदारी एवं पूर्ण समर्पण से कार्य करने एवं अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत बताई। उन्होंने प्रदेश के 80 वर्ष से अधिक समय से चल रहे स्कूलों को धरोहर के रूप में संजोए जाने की बात भी कही ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी गौरवान्वित महसूस कर सके।

सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा

प्रधान सचिव, शिक्षा श्री पी.सी. धीमान ने कहा कि प्रदेश में बच्चों का नामांकन, स्कूल तक पहुंच अथवा लैंगिक असमानता मुद्दा नहीं रहा, एकमात्र उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त अवसर एवं संसाधन मौजूद हैं जिनका उचित दोहन करना हमारी क्षमता पर निर्भर करता है।

बैठक में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डा. सुनील चौधरी तथा सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक श्री राजेश शर्मा ने विभाग के कार्यों की जानकारी दी। राज्य परियोजना निदेशक ने बताया कि गुणात्मक शिक्षा के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मॉनीटरिंग प्रक्रिया को विशेष रूप से सुदृढ़ किया गया है तथा नियमित मॉनीटरिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसके परिणाम शीघ्र ही सामने आएंगे। इससे गुणात्मक सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति मिलेगी।

बैठक में स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव श्री प्रभात कुमार, एस.सी.ई.आर.टी. के प्रतिनिधि, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री डी.डी. शर्मा तथा अन्य अधिकारी भी शामिल थे।

(4) ग्रेडिंग के पश्चात प्रत्येक संकुल स्त्रोत समन्वयक को समस्याग्रस्त विद्यालयों की ओर विशेष ध्यान देना होगा तथा विद्यालयों की कमियों एवं उपलब्धियों की खण्ड स्तर की मासिक बैठक में चर्चा करके उसका समाधान खोजना होगा। फिर भी यदि कुछ विद्यालयों की समस्याओं का समाधान संकुल स्त्रोत स्तर पर सम्भव नहीं हो पाए तो उनके समाधान हेतु खण्ड तथा जिला स्तर पर अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर बातचीत की जाए।

(5) क्रम संख्या 4 पर दिए गए कार्यों को भी इसी प्रकार से खण्ड तथा जिला स्तर पर कार्यान्वित किया जाए।

(6) प्रत्येक संकुल स्त्रोत समन्वयक को अपने संकुल स्तर पर विद्यालयों की ग्रेडिंग सूचि सूचना पट्ट पर दर्शानी होगी जिसको समय–समय पर राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरीय मॉनीटरिंग टीमों द्वारा जांचा जाएगा।

पाठकों से...

पाठकगण अपने जिला, खण्ड, संकुल या स्कूल में चल रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में हमें सूचित करें। सर्व शिक्षा अभियान संबंधी यह पृष्ठ हर माह के अंतिम बुधवार को प्रकाशित किया जाता है। पाठकगण सर्व शिक्षा अभियान संबंधी किसी भी सुझाव व जानकारी के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :–

राजेश शर्मा
राज्य परियोजना निदेशक,
राज्य परियोजना कार्यालय (सर्व शिक्षा अभियान),
डी.पी.ई.पी.भवन, लाल पानी, शिमला–171001

दूरभाष : 2658668, फैक्स : 2808624

प्रस्तुति : **ज्योति रावत**